न्यायालय उपजिलाधिकारी करछना, प्रयागराज

वाद संख्या 46 वर्ष 2018-19 अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधिनियम

मौजा धनुही परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज

श्रीकृष्णा टेक्नालॉजिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम सरकार

प्रस्तुतवाद श्रीकृष्णा टेक्नालॉजिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, 44बी/45बी मोहिउद्दीन नगर, अल्लापुर, प्रयागराज द्वारा सेक्रेटरी भान सिंह पुत्र नन्द किशोर सिंह निवासी-44बी/45बी मोहिउद्दीन नगर, अल्लापुर, तहसील सदर, प्रयागराज ने मौजा धनुही परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज स्थित प्रश्नगत भूखण्ड को अकृषिक घोषित कराने हेतु ज०वि०अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इस कथन के साथ योजित किया है कि मौजा धनुही परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज स्थित आराजी संख्या 60मि. रकबा 0.2050हे० लगान 4.80 का संक्रमणीय भूमिधर खातेदार व काबिज है। यह कि उक्त भूखण्ड वर्तमान समय में कृषि कार्य बागवानी, कुक्कुटपालन से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग में लायी जा रही है। यह कि प्रश्नगत भूखण्ड वर्तमान समय में पूर्णतया अकृषिक भूमि के प्रयोजन में है। यह कि उक्त भूखण्ड के भूमि का वास्तविकता बनी हुई है। उक्त भूखण्ड गैर कृषि प्रयोजन में है जिसे अकृषिक घोषित कर राजस्व अभिलेख दुरूस्त कराया जाना अति आवश्यक है। अंत में याचना किया है कि उक्त आराजी संख्या 60मि. रकबा 0.2050हे० लगान 4.80 की लगान मुक्त करते हुये अकृषिक घोषित करने की कृपा करें और तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित कराया जावें। साक्ष्य में मौजा धनुही परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज की कम्प्यूटर खतौनी वर्ष 1426 लगायत 1431 फसली तथा फैसला की छायाप्रति दाखिल किया है, जो संलग्न पत्रावली है।

प्रकरण की स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच तहसीलदार करछना से करायी गयी। जे०ई० लेखपाल ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 24.08.2018 में उल्लिखित किया है कि श्रीकृष्णा टेक्नालॉजिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, 44बी/45बी मोहिउद्दीन नगर, अल्लापुर, प्रयागराज द्वारा सेक्रेटरी भान सिंह पुत्र नन्द किशोर सिंह निवासी 44बी/45बी मोहिउद्दीन नगर, अल्लापुर, प्रयागराज भूमि स्थित ग्राम धनुही परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज की आराजी नम्बर 60मि. रकबा 0.2050हे० लगान रू० 4.80पैसे का संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त आराजी पर उपरोक्त ट्रस्ट की बाउन्ड्रीवाल बनी हुयी है। उपरोक्त प्लाट पर कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन का कार्य नहीं किया जाता है। अतः भूमि स्थित ग्राम धनुही परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज की भूमि स्थित गाटा नम्बर 60मि. रकबा 0.2050हे० लगान 4.80रू० श्रीकृष्णा टेक्नालॉजिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, 44बी/45बी मोहिउद्दीन नगर, अल्लापुर, प्रयागराज द्वारा सेक्रेटरी भान सिंह पुत्र नन्द किशोर सिंह निवासी 44बी/45बी मोहिउद्दीन नगर, अल्लापुर, प्रयागराज को लगान मुक्त करते हुये अकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है। तहसीलदार करछना ने अपनी आख्या दिनांक 24.08.2018 में उल्लिखित किया है कि आवेदक के प्रार्थनापत्र पर स्थलीय जाँच की गयी। राजस्व निरीक्षक की जाँच आख्या से सहमत। अतः आवेदक के पक्ष में आराजी संख्या 60मि. रकबा 0.2050हे० स्थित ग्राम धनुही परगना अरैल तहसील करछना को अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की जाती है। साथ में स्थिति प्रारूप पर भी आख्या दी गयी है, जो संलग्न पत्रावली है।

क्रमशः.....2

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम मधुही ग्राम मधुही परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज की कम्प्यूटर खतौनी वर्ष 1428 लगायत 14131 फसली के खाता संख्या 00224 आराजी नम्बर 80मि. रकबा 0.2060हे0 एवं खाता संख्या 00404 लगान रु. 4.8580 पर श्रीकृष्णा टेक्नालाजिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, 88बी/8सी मेंहदौरी नगर, अल्लापुर, प्रयागराज द्वारा सेटलर प्रताप सिंह पुत्र नन्द किशोर सिंह निवासी 88बी/8सी मेंहदौरी नगर, अल्लापुर, प्रयागराज का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। संलग्न बैनामे की छाया प्रति से स्पष्ट है कि उक्त आराजी नम्बर 80मि. रकबा 0.2060हे0 को प्रार्थी/वादी द्वारा रजिस्टर्ड पंजीकृत बैनामा क्रय किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल तथा तहसीलदार करछना ने अपनी जांच आख्या में स्पष्ट किया है कि उक्त गाटा संख्या 80मि. रकबा 0.2060हे0 में कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि नहीं किया जा रहा है। मौके पर उपरोक्त आराजी नम्बर पर उपरोक्त ट्रस्ट की बाउण्ड्री बनी हुयी है तथा उक्त भूखण्ड को आवेदक के पक्ष में लगान मुक्त करते हुये अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। धारा में नियत प्रारूप पर भी आख्या दी गयी है जो संलग्न पत्रावली है। ऐसी स्थिति में उक्त भूखण्ड को आवेदक के पक्ष में लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः क्षेत्रीय लेखपाल तथा तहसील करछना की आख्या के आधार पर आदेश हुआ कि ग्राम मधुही परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज की खतौनी वर्ष 1426–1431 फसली के खाता संख्या 00404 आराजी नम्बर 80मि. रकबा 0.2060हे0 को आवेदक के पक्ष में लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत बनी रहेंगी। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक करछना को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक: 25.03.2021

([illegible] कुमार मिश्र)
उप जिलाधिकारी
करछना, प्रयागराज।

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपजिलाधिकारी करछना, प्रयागराज

वाद संख्या 84 वर्ष 2018-19 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0

ग्राम प्रतुही परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज

श्रीकृष्ण टेक्नालॉजिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम [illegible]

[illegible]

[illegible]

क्रमशः ___ 2

Scanned with CamScanner

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम [illegible] परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज की कम्प्यूटर खतौनी वर्ष 1420 लगायत 1413 फसली के आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0460, आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0620, आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0740, आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0230, एवं आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.2550हे0 लगान रु 4.38[illegible] पर [illegible] [illegible] एण्ड डेवलपमेंट [illegible] ट्रस्ट, [illegible] नगर, [illegible] प्रयागराज द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रयागराज [illegible] भूमिधर [illegible] है। [illegible] रिपोर्ट की [illegible] से स्पष्ट है कि उक्त आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0460, आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0620, आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0740, आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0230, एवं आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.2550हे0 को [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] किया गया है। [illegible] राजस्व निरीक्षक [illegible] [illegible] ने अपनी [illegible] आख्या में स्पष्ट किया है कि उक्त आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0460, आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0620, आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0740, आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0230 एवं आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.2550हे0 में कृषि कार्य, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] आदि नहीं किया जा रहा है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है तथा उक्त भूखण्ड को आवेदक के पक्ष में [illegible] [illegible] करते हुए अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। ऐसी स्थिति में उक्त भूखण्ड को आवेदक के पक्ष में [illegible] [illegible] करते हुए अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः [illegible] [illegible] तथा तहसील करछना की आख्या के आधार पर आदेश हुआ कि ग्राम [illegible] परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज की खतौनी वर्ष 1420-1422 फसली के खाता संख्या [illegible] आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0460, आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0620, आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0740, आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0230 एवं आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.2550हे0 को आवेदक के पक्ष में [illegible] [illegible] करते हुए अकृषिक घोषित किया जाता है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होगी। तद्नुसार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आदेश की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में दाखिल की जाय।

दिनांक 21.[illegible].2019

([illegible] कुमार मिश्र)
उप जिलाधिकारी
करछना, प्रयागराज।

Scanned with CamScanner